



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 14 मई, 2025

बैशाख 24, 1947 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश शासन

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-4

संख्या 154/बावन-4-2025-13(एच0)-2017

लखनऊ, 14 मई, 2025

अधिसूचना

प0आ0-87

हज समिति अधिनियम, 2002 (अधिनियम संख्या 35, सन् 2002) की धारा 19 के साथ पठित धारा 18 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति के नाम से पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 17 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश हज समिति में निम्नलिखित व्यक्तियों को सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट करते हैं:-

- 1-श्री दानिश आज़ाद अन्सारी, माननीय सदस्य, विधान परिषद, लखनऊ।
- 2-श्री वली मोहम्मद, अध्यक्ष, नगर पंचायत, गोपामऊ, हरदोई।
- 3-श्री नदीमुल हसन, अध्यक्ष, नगर पंचायत, धौरा टांडा, बरेली।
- 4-श्री सैयद अली वारसी, मुस्लिम धर्म विद्या एवं विधि विशेषज्ञ।
- 5-श्री हाफिज एजाज अहमद (शाहिन अंसारी), मुस्लिम धर्म विद्या एवं विधि विशेषज्ञ।
- 6-सैयद कल्बे हुसैन (कब्बन नवाब), मुस्लिम धर्म विद्या एवं विधि विशेषज्ञ (शिया समाज)।
- 7-मुहम्मद इफतेखार हुसैन, समाजसेवी।
- 8-श्री कामरान खान, समाजसेवी।
- 9-श्री जुनैद अहमद अंसारी, समाजसेवी।
- 10-श्री जावेद कमर खान, समाजसेवी।
- 11-श्री कमरुद्दीन (जुगनू), समाजसेवी।

12—अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश शिया सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड।

13—कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति।

2—नाम निर्दिष्ट सदस्यों का कार्यकाल, इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से तीन वर्षों के लिये होगा।

आज्ञा से,
संयुक्ता समददार,
प्रमुख सचिव।